रेल दावा अधिकरण
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
दिल्ली/Delhi
(प्रधान पीठ/Principal Bench)

13/15, माल रोड, दिल्ली-110054
13/15, Mall Road, Delhi-110054

सं.रे.दा.अधि./दिल्ली/राजभाषा/तिमाही रपट/2011 दिनांक 14.09.2021

<u>'संदेश'</u>

'हिंदी दिवस' के पावन अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसाकि आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की भाषा उस राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं तकनीकी विकास का परिचायक होती है। हमारे देश में भी हिंदी अपने विशिष्ट गुणों के कारण राजभाषा बनकर उभरी है और आज यह विश्व की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में अहम स्थान पर है।

इस अवसर पर मैं चाहूंगी कि रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाया देने के लिए आप सभी अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें। जैसाकि आप सभी जानते हैं कि प्रधान पीठ कार्यालय 'क' क्षेत्र में आता है इसलिए हिंदी में कार्य करना न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है अपितु यह संवैधानिक रूप से अनिवाय भी है। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं और हिंदी एवं अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं। मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगी कि आप फाईलों पर नोटिंग अधिकाधिक हिंदी में करें तथा हजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर तथा छुट्टी के प्रार्थना-पत्र आदि हिंदी में ही दें। मुझे आशा है कि हमारे इन प्रयासों से प्रधान पीठ कार्यालय सदैव की भांति अन्य पीठों के लिए एक आदर्श पीठ बनी रही रहेगी।

रजिस्ट्रार

<u>रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली के समस्त अधिकारी/कर्मचारी</u>